



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22052024-254309
CG-DL-E-22052024-254309

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 21, 2024/वैशाख 31, 1946

No. 1941]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 21, 2024/VAISAKHA 31, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2024

का.आ. 2040(अ).— केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि उत्तर प्रदेश राज्य के महाराजगंज जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-730S(महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी रोड)के कि.मी. 0+000 से 40+140 कि.मी. तक के भू-खण्ड के निर्माण (पेव्ड शोल्डर सहित दो/चार लेन का बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं. सं.) महाराजगंज,को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिक्थित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने

के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3 ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा; और

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH-730S(महाराजगंज-निचलौल-ठूठीबारी रोड)के कि.मी. 0+000 से 40+140 कि.मी. तक के लिये अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश			जिले का नाम: महाराजगंज		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: निचलौल					
गांव का नाम: भरवलिया					
1	107	निजी (/सरकारी)	कृषि/सड़क	0.4 (हेक्टेयर)	0.4
2	123	निजी	कृषि	0.001 (हेक्टेयर)	0.001
3	124	निजी	कृषि	0.055 (हेक्टेयर)	0.055
गांव का नाम: लोहरीली					
4	95	निजी	कृषि	0.026 (हेक्टेयर)	0.026
गांव का नाम: ढेकावे					
5	10	निजी	कृषि	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
6	14	सरकारी	सड़क	0.0061 (हेक्टेयर)	0.0061
7	16	निजी	कृषि	0.0159 (हेक्टेयर)	0.0159
8	18	निजी	कृषि	0.0025 (हेक्टेयर)	0.0025
9	21	सरकारी	मुख्यमार्ग	0.0012 (हेक्टेयर)	0.0012
10	23	निजी	कृषि	0.0348 (हेक्टेयर)	0.0348
11	24	निजी	कृषि	0.0352 (हेक्टेयर)	0.0352
12	25	निजी	कृषि	0.0111 (हेक्टेयर)	0.0111
13	80	सरकारी	चारागाह	0.0072 (हेक्टेयर)	0.0072
14	81	सरकारी	नाली	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024

गांव का नाम: ठूठीबारी					
15	1017	सरकारी	बंजर/कब्रिस्तान	0.038 (हेक्टेयर)	0.038
16	892	सरकारी	विद्यालय	0.03 (हेक्टेयर)	0.03
17	987	निजी (/सरकारी)	कृषि/खलियान	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: मिठौरा					
18	668	निजी	कृषि	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
19	669	निजी	कृषि	0.012 (हेक्टेयर)	0.012
तालुक का नाम: सदर महाराजगंज					
गांव का नाम: धनेवा धनेई					
20	1957	निजी	कृषि	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
गांव का नाम: सेन्दुरिया					
21	1416	निजी	कृषि	0.503 (हेक्टेयर)	0.503
गांव का नाम: चिउरहा मऊपाकड					
22	1532	सरकारी	राजकीय यातायात विभाग	0.006 (हेक्टेयर)	0.006
23	1827	निजी (/सरकारी)	कृषि/आबादी	0.028 (हेक्टेयर)	0.028
गांव का नाम: पतरेंगवा					
24	1342	सरकारी	नाली	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
गांव का नाम: परसा गोबरही					
25	395	निजी	कृषि	0.113 (हेक्टेयर)	0.113
Total					1.35

[फा. सं. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-730S/2022-23/3A]

अभय जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st May, 2024

S.O. 2040(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/2 / 4 laning with paved shoulder), maintenance, management and operation of the **NH-730S** in the stretch of land from **K.m. 0+000 to 40+140 K.m. (Maharajganj-Nichloul-Thuthibari Road)** in the **District Maharajganj**, state of **UTTAR PRADESH**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, the **Deputy Land Acquisition Officer (S.S.), Maharajganj** in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from K.m. 0+000 to 40+140 K.m. (Maharajganj-Nichloul-Thuthibari Road) of NH-730S in the state of UTTAR PRADESH

State: UTTAR PRADESH			District: MAHARAJGANJ		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Nichloul					
Village: Bharwaliya					
1	107	Private (/Government)	Agriculture/Sadak	0.4 (Hectare)	0.4
2	123	Private	Agriculture	0.001 (Hectare)	0.001
3	124	Private	Agriculture	0.055 (Hectare)	0.055
Village: Lohrauli					
4	95	Private	Agriculture	0.026 (Hectare)	0.026
Village: Dhekave					
5	10	Private	Agriculture	0.0006 (Hectare)	0.0006
6	14	Government	Sadak	0.0061 (Hectare)	0.0061
7	16	Private	Agriculture	0.0159 (Hectare)	0.0159
8	18	Private	Agriculture	0.0025 (Hectare)	0.0025
9	21	Government	Mukhyamarg	0.0012 (Hectare)	0.0012
10	23	Private	Agriculture	0.0348 (Hectare)	0.0348
11	24	Private	Agriculture	0.0352 (Hectare)	0.0352
12	25	Private	Agriculture	0.0111 (Hectare)	0.0111
13	80	Government	Charagah	0.0072 (Hectare)	0.0072
14	81	Government	Nali	0.0024 (Hectare)	0.0024
Village: Thuthibari					
15	1017	Government	Banjar/Kabristaan	0.038 (Hectare)	0.038
16	892	Government	Vidhyalaya	0.03 (Hectare)	0.03
17	987	Private (/Government)	Agriculture/Khalihan	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Mithaura					
18	668	Private	Agriculture	0.007 (Hectare)	0.007
19	669	Private	Agriculture	0.012 (Hectare)	0.012
Taluk: Sadar Maharajganj					
Village: Dhnewa Dhanei					
20	1957	Private	Agriculture	0.006 (Hectare)	0.006
Village: Senduria					
21	1416	Private	Agriculture	0.503 (Hectare)	0.503

Village: Chiuraha Maupakad					
22	1532	Government	Rajkiya Yatayaat Vibhag	0.006 (Hectare)	0.006
23	1827	Private (/Government)	Agricuture/Abadi	0.028 (Hectare)	0.028
Village: Patarengawan					
24	1342	Government	Nali	0.004 (Hectare)	0.004
Village: Parsa Gobarhi					
25	395	Private	Agriculture	0.113 (Hectare)	0.113
Total					1.35

[F.No. CE-RO/LKO/NH(O)/LA/NH-730S/2022-23/3A]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.